

कार्यालय कलेक्टर जिला देवास,(म.प्र.)

क्रमांक/334

/लेखा/2018

देवास,दिनांक 12/12/2018

--:: आदेश ::--


म.प्र.वित्त संहिता भाग-2 के परिशिष्ट 8 के नियम 43 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मैं डॉ0 श्रीकांत पाण्डेय कलेक्टर, जिला देवास म.प्र.शासन, वित्त विभाग के ज्ञाप क्रमांक 1303/आर-5/92/नि-5 चार दिनांक 30.06.1992 में दिये गये निर्देशानुसार एवं श्रम आयुक्त म. प्र.शासन इन्दौर अधिसूचना क्रं. 1/ 11/ अन्वे./पाँच /2015/ 43469-718 इन्दौर दिनांक 10.10.2018 के अनुसार म.प्र.न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948 के अन्तर्गत आकस्मिक निधि से भुगतान पाने वाले कर्मचारियों के लिये निम्नानुसार मासिक व दैनिक वेतन दरे देवास जिले के लिये दिनांक 01.10.2018 से 31.03.2019 तक के लिये निर्धारित करता हूँ ।

यह दरें सभी विभागों में कार्यरत कर्मचारियों पर लागू होगी । यह दरें मूल्य सूचकांक पर आधारित है, जो किसी भी समय शासन द्वारा महंगाई भत्ते की दरों में परिवर्तन किया जा सकता है ।

01.04.2018 से 30.09.2018 तक			01.10.2018 से 31.03.2019 तक				रूपये राउन्ड में
कर्मचारी का वर्ग	कुल वेतन		न्यूनतम कुल वेतन परिवर्तनशील महंगाई भत्ता		न्यूनतम कुल वेतन परिवर्तनशील महंगाई भत्ता		
	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	कुल वेतन		
					प्रतिमाह रु0 पैसे	प्रतिदिन रु0 पैसे	
1	2	3	4	5	6	7	8
अकुशल	7325.00	244.20	875.00	29.20	7375.00	245.83	246.00
अर्धकुशल	8182.00	272.73	1175.00	39.20	8232.00	274.40	274.00
कुशल	9560.00	318.70	1175.00	39.20	9610.00	320.33	320.00
उच्च कुशल	10860.00	362.00	1175.00	39.20	10910.00	363.70	364.00

विशेष टीप:- उपयुक्त अनुसूची-"क" में निर्धारित दैनिक वेतन की दरें 30 दिन से विभाजित कर निर्धारित की गई हैं इसलिए सभी कर्मचारियों एवं श्रमिकों को वेतन सहित साप्ताहिक अवकाश देय होगा, अर्थात् मासिक वेतन में से साप्ताहिक अवकाश के लिए कोई कटौती नहीं की जा सकेगी ।


1. कर्मचारियों के प्रकार विभिन्न वर्गीकरण में बताये गये हैं, ऐसे वर्ग के कर्मचारी भी है जो इस अधिसूचना मे शामिल नहीं है के लिये न्यूनतम वेतन की दरें वहीं होगी को समान प्रवृत्ति को काम करने वाले कर्मचारी को देय है । कुशल, अर्द्ध कुशल, कर्मचारियों की व्याख्या , अकुशल, अर्द्धकुशल एवं कुशल श्रमिकों /कर्मचारियों में वर्गीकरण की सूची पूर्वनुसार रहेगी ।
2. किसी भी स्थापना अथवा उपक्रम में प्रचलित वेतन दरें अधिसूचना न्यूनतम वेतन दरों तथा देय परिवर्तन शील महंगाई भत्ते के योग से अधिक होने पर यह समझा जावेगा कि आदेश का पालन किया जा रहा है। यदि स्थापना या उपक्रम द्वारा देय न्यूनतम वेतन एवं परिवर्तनशील महंगाई भत्ते के योग से कम है, तो श्रमिक अंतर की राशि के लिए पात्र होगा।
3. न्यूनतम दरों में न्यूनतम मजदूरी अधि0 1948 क्रमांक 11 सन् 1948 की धारा उपधारा (1) के खंड (ख) के अधीन परिकल्पित किए अनुसार विश्राम दिवस के संबंध में पारिश्रमिक सम्मिलित है।


(डॉ0 श्रीकांत पाण्डेय)
कलेक्टर
जिला देवास (म0प्र0)

पृ० क्रमांक / 335 / लेखा / 2018
प्रतिलिपि :-

देवास, दिनांक 12 / 12 / 2018

- 1 सचिव, म०प्र० शासन राजस्व विभाग, भोपाल ।
- 2 सचिव, म०प्र० शासन वित्त विभाग, भोपाल ।
- 3 सचिव, म०प्र० शासन श्रम विभाग, भोपाल ।
- 4 महालेखाकार म०प्र०, ग्वालियर ।
- 5 प्रमुख राजस्व आयुक्त, म.प्र. शासन, भोपाल ।
- 6 आयुक्त, उज्जैन -संभाग, उज्जैन ।
- 7 कलेक्टर _____
- 8 आयुक्त, भू- अभिलेख ग्वालियर म०प्र० ।
- 9 संचालक, लोक स्वास्थ्य / आ.जा.क.वि. / कृषि पशुपालन, कोष एवं लेखा, पुरातत्व संग्रहालय, भोपाल ।
- 10 कार्यालय प्रमुख ~~प्रभारी अधिकारी (N.F.C.) देवास~~ की आवश्यकता पर
ओर पालनार्थ । ~~फायदेवाही हो~~
- 11 अनुविभागीय अधिकारी, देवास, सोनकच्छ, बागली, कन्नौद ।
- 12 तहसीलदार देवास, टोंकखुर्द, सोनकच्छ, बागली, कन्नौद, खातेगांव, हाटपीपल्या एवं सतवास ।


कलेक्टर

जिला देवास (म०प्र०)